

16 ⁰⁹/₂₂

पञ्जाबी जैसा उर्दू। वादी एवं वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आगल
लगावान के बावजूद सत्र 5:00 बजे तक नहीं
एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं
हुआ।

मूलवाद अफम हाजरी एवं अफम पेंच में
खातिब हो चुका है। मूलवाद का निरलाप
हो जाने से प्रा० पत्र 39 R(2) CPC का
कार्य आरंभ नहीं रहता है।

अतः प्रा० पत्र 39 R(2) CPC की कार्यवाही
झोंप भी जारी है। पञ्जाबी के लाल अफम
मिस्टर रजिस्टर से काम भी जारी। संलग्न
मूलवाद है।

